

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

क्र म

विपक्षी

मे डी ल

स्म मुकदमा

पत्रावली संख्या

6/20

क्रांक

कार्यवाही विवरण

S. 324


पत्रावली पेश हुई। बकुलाय-पक्षका उपस्थिति।

प्रकरण का मूलवाद बादगस्त आशुजीयात प्रतिबन्धित प्रेण

की होरु बारिन हो चुका हो जिससे हरगत उर्धनपत्र  
में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः पार्थनपत्र उती स्वर पर बारिन किया जाता  
हो निर्णय अरे इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फलशुभा (क्रा नम्बर से सम हो)

  
(रिया सुबिन)  
उपखण्ड अधिकारी  
गिरवा, उदयपुर

